न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/03/2021	2021/135	05.10.2021	15.07.2025

1.मधुसुधन शर्मा पुत्र रामकृपाल शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी टहला, तहसील टहला, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थीगण

बनाम

1.भू—आवंटन सलाहकार समिति राजगढ जरिये उप जिला कलक्टर राजगढ राजगढ जिला अलवर राज0।
2.मदनलाल पुत्र लल्लूराम जाति ब्राह्मण निवासी टहला, तहसील टहला, जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू—आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आज्ञा 16.06.2002

उपस्थितः—
01. श्री अशोक कुमार मुदगल —वकील प्रार्थी
02. श्री के0के0 शर्मा —वकील अप्रार्थी संख्या 02
03. राजकीय अभिभाषक —वकील अप्रार्थी संख्या 01

—:: निर्णय ::—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) भू—आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आज्ञा भू आवंटन अधिकारी राजगढ जिला अलवर जिसके द्वारा आराजी खसरा न0 1007, 1028/2148 व 1328 वाके ग्राम टहला का आवंटन अप्रार्थी संख्या 02 को किये जाने से व्यथित होकर पेश किया है।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार पेश हैं कि हाल खसरा नंबर 1007 1028/2148 व 1328 वाके ग्राम टहला तहसील टहला जिला अलवर राज० में स्थित है। आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 16—6—2002 को जो आराजी खसरा नंबर 1007 1028/2148 व 1328 वाके ग्राम टहला का आवंटन अप्रार्थी संख्या 2 को किया गया है वह आवंटन बिना मौका की जांच किये व बिना मौका देखे आवंटन कर दिया था जो आवंटन विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। वक्त आवंटन खसरा नंबर 1007 1028/2148 व 1328 वाके ग्राम टहला भूमि मौके पर खाली नहीं थी, ओक्यूपेड लैण्ड का आवंटन नियम संगत नहीं है व न ही अप्रार्थी संख्या 2 अलोटी लैण्ड लैस पर्सन है। हाल खसरा नंबर 1328 रकबा 21 ऐयर वाके ग्राम टहला तहसील टहला जिला अलवर पर प्रार्थी का कब्जा अर्से दराज —50 वर्षों से लगातार चला आ रहा है व प्रार्थी ने उक्त आराजी में काफी जिस्मानी मेहनत कर व काफी रकम खर्च करके काबिल काश्त की आराजी की है व आज भी उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त व फसल तिल्ली खड़ी हुई है। यह अनओक्यूपाई लैण्ड ही आवंटन की श्रेणी में आती है मुताबिक खसरा परिवर्तशील के प्रार्थी ने उकत आराजी पर राजकीय शास्ती भी अदा की है।

वक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 2 आवंटी लेण्ड लैस परसन नही था उसके पास स्वयं की खातेदारी की करीब 10 बीघा जमीन थी। इसलिये भी उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी सं0 2 अलोटी को मौके पर कभी भी दखल नहीं दिया गया है तथा न ही उसने उक्त आराजी पर कभी कोई काश्त की है इसलिये उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। अप्रार्थी राख्या 2 आवंटी ने आवंटन के बाद नियमानुसार प्रथम वर्ष में आराजी का 50 प्रतिशत भाग व आगामी वर्ष में पूरी आराजी को काश्त नहीं की। प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। अन्य

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

उज्जात जो आयद होगें बवक्त बहस अर्ज किये जावेगे। अतः निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के आवंटन आदेश दिनांक 16–6–2002 को निरस्त किया जाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 02 जरिये अभिभाषक उपस्थित।

वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई जो संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 मदनलाल को अलग–अलग स्थान पर आराजी खसरा न0 1007, 1028/2148 व 1328 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ जिला अलवर राज0 को आवंटन किया गया। आवंटन करने से पूर्व सर्वसाधारण को कोई नोटिस/सूचना जारी नहीं की गई, न ही आवंटन से पूर्व मौके की कोई जांच की गई। वक्त आवंटन आराजी खसरा न0 1328 रकबा 0.21 एयर की भूमि खाली नहीं थी और बिना खाली भूमि(अनओक्यूपाइड लैण्ड) का आवंटन नहीं किया जा सकता। उक्त भूमि पर प्रार्थी का लम्बे समय से कब्जा रहा है जिसके समर्थन में नकल खसरा गिरदावरी संवत 2054, 2055, 2056 व 2057 पेश की है जिससे मेरा कब्जा साबित होता है तथा मैंने सरकार को पैनल्टी भी अदा की है। आराजी खसरा न0 1328 हमारी आराजी खसरा न0 1327, 1329, 1405 व 1406 के बीच में स्थित है जिससे हम प्रथम वरीयता के आवंटन/रेगूलाइज कराने के अधिकारी हैं जिस क्रम में प्रार्थी ने नकल नक्शा व नकल जमाबंदी खसरा न0 1327, 1329,1405 व 1406 पेश की है। वक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 02 मदनलाल वक्त आवंटन भूमिहीन व्यक्ति नहीं था उसके पास पूर्व से ही आराजी खसरा न0 1039, 1265, 1266, 1267 व 1009 का 1/6 की आराजी खातेदारी है व पैतृक आराजी भी है। इस प्रकार अप्रार्थी के पास 20 बीघा का 1/5 आराजी थी उसने धाखे से व मिसरीप्रेजेन्टेशन से आवंटन कराया है। उक्त विवादित आराजी खसरा से संबंधित एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की गई। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है जो निम्न प्रकार है– खसरा परिवर्तनशील संवत 2054, 2055, 2056, 2057, नकल नक्शा खसरा न0 1328 , नकल जमाबंदी 1327, 1405, 1406, नकल जमाबंदी खसरा न0 1039 शालिम व 1265, 1266, 1267, नकल आर्डरशील स्थगन आदेश, नकल दावा, नकल जमाबंदी खसरा न0 1328 स्टे नोट, नकल जमाबंदी खसरा न0 1329 तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में साइटेशन निम्न प्रकार हैं– 1989 आरआरडी पेज 23, 1990 आरआरडी पेज 465, 1983 आरआरडी पेज 775, 2002 आरआरडी पेज 01, 2001 आरआरडी पेज 142, 2007 आरआरडी पेज 719। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 16.06.2002 बाबत आवंटन आराजी खसरा न0 1007, 1028/2148 व 1328 वाके ग्राम टहला तहसील राजगढ हाल तहसील टहला जिला अलवर राजस्थान निरस्त फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा दौराने बहस अवगत कराया कि वक्त आवंटन भूमि खाली नहीं थी प्रार्थी क्लीनहैंड नहीं आये हैं। वक्त आवंटन आवंटी के 04 भाई व 06 बहिन थे। दिनांक 16.02.2002 को उसी कैम्प में मधु को भी 1.5 बीघा भूमि आवंटित हुई थी यह तथ्य झुपाया गया आराजी खसरा न0 1338 में मधु के पिता के नाम 1.5 बीघा जमीन आवंटित हुई थी आवंटन समिति ने मुझे प्राथमिकता नहीं दीं। ट्रेसपासर को कोई राइट नहीं मिलते है तथा एडवर्स पजैशन के आधार पर कोई राइट नहीं मिलते हैं। 188 का दावा रिकॉर्डेड खातेदार ही पेश कर सकता है। आज की डेट में मैं रिकॉर्डेड टीनेन्ट हूं। आदेश हुए करीब 23 वर्ष का समय गुजर चुका हैं। प्रार्थी द्वारा को प्रार्थना पत्र में कोई एफीडेविट नहीं लगाया है। गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र लायें हैं इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा भू आवंटन अधिकारी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न साइटेशन/न्यायिक दृष्टांत पेश किये–2021(2) आरआरटी 1100, 2022–23 (supp) आरआरटी 112, 2024(2) आरआरटी 3771।

पत्रावली मे उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) ... (राज0)

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य/रिकॉर्ड एवं बहस का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा 14(4) के तहत अप्रार्थी संख्या 02 के नाम हुये आवंटन को चुनौती दी गई है जबकि पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह तथ्य सावित होता हो कि उक्त आवंटित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा कब से चला आ रहा है अथवा नहीं। वर्तमान में आवंटी खातेदार है तथा आवंटन को भी काफी समय हो गया है यदि प्रार्थी का कब्जा मान भी लिया जावे तो एक खातेदार के विना ऐसे कब्जे का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली में ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह सावित होता है कि प्रार्थी का आवंटन से पूर्व उक्त भूमि पर लगातार कब्जा चला आ रहा हो और कब्जे को नजर अंदाज करके आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी अपने कथनों को सावित करने में असफल रहा है लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) अस्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 14(4) अस्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(द्वितीय)
अलवर (राज0)